राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 397/2025

सुमन तंवर —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन), कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक, उद्यान, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), मुख्यालय, बिदियाद, जिला कुचामनसिटी।
5. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), मुख्यालय, आकला, मेड़तासिटी।
6. सुमन नेत्रा, कृषि पर्यवेक्षक, सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), आकला, मेड़तासिटी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश खींची/कुलदीप असवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय बिदियाद, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, जिला कुचामनसिटी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से मुख्यालय आकला, सहायक निदेशक कृषि (वि0) मेडतासिटी स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलार्थी दिनांक 15.07.2024 से गर्भवती है तथा उसका हरिबक्स कांवटिया राजकीय चिकित्सालय, जयपुर में उपचार चल रहा है और डॉक्टरों ने समय–समय पर टीकाकरण, निषेधाज्ञा दी है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी को जयपुर आना पड़ता है क्योंकि अपीलार्थी के पति महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर में वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदस्थापित है और जयपुर के स्थायी निवासी है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी का बार–बार एक स्थान से

दूसरे स्थान पद स्थानान्तरित हुई है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी गर्भवती महिला है और अपीलार्थी की देखभाल करने वाला उनके पति के अलावा अन्य कोई परिजन नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को मुख्यालय बिदियाद, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, जिला कुचामनसिटी में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को मुख्यालय बिदियाद, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, जिला कुचामनसिटी से मुख्यालय आकला, सहायक निदेशक कृषि (वि0) मेडतासिटी स्थानान्तरित कर दिया गया। अपीलार्थी गर्भवती महिला है, जिसका उपचार हरिबक्स कांवटिया राजकीय चिकित्सालय, जयपुर में चल रहा है। अपीलार्थी की चिकित्सकीय स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य